राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर– 346 / 2024
GCMS No. 2024 / 680

प्रकाश चंद पुत्र बालाराम जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. मनीराम पुत्र बालाराम
2. हरिराम पुत्र बालूराम
   जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादी – श्री रामनरेश सैनी

:: निर्णय ::   दिनांक :– 19.08.2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 82 के ख.नं. 344 रकबा 0.03 है., ख.नं. 391 रकबा 4.48 है. कुल किता 2 कुल रकबा 4.51 है. तथा खाता सं. 380 खसरा नंबर 345 रकबा 5.65 है. का वादी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही नाम प्रकाश चंद पुत्र बालाराम है जो वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में दर्ज है। लेकिन वाद वर्णित भूमि में वादी का नाम प्रकाश पुत्र बालु दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादी व उसके पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम प्रकाश चंद पुत्र बालाराम है। इसलिये वादी को अपना व अपने पिता का नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह वाद पत्र पेश क[illegible] हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम तात[illegible] तहस[illegible] खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 82 [illegible] 344 रकबा [illegible]., ख.नं. 391 रकबा 4.48 है. कुल किता 2 कुल रकबा 4.51 [illegible] नंबर 345 रकबा 5.65 है. में दर्ज वादी का नाम प्रकाश पुत्र [illegible] उसके स्थान पर वादी का नाम प्रकाश चंद पुत्र बालाराम घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.10 17:36:54 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 ने जवाब पत्र प्रस्तुत कर [illegible] किए जाने की प्रार्थना की।

प्रतिवादी सं. 3 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./खा.वि./2025/741 दिनांक 07.04.2025 से पटवारी हल्का जसरापुर की मूल जांच रिपोर्ट बिन्दुवार भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–79 खाता सं. 82 व खाता सं. 380 ग्राम तातीजा, फोटो प्रति आधार कार्ड, आयकर विभाग का पेन कार्ड, जन आधार कार्ड, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ–पत्र हरिराम पुत्र बालूराम, प्रकाश चंद पुत्र बालाराम व मनीराम पुत्र बालाराम भी पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी के पत्र क्रमांक 741 दिनांक 07.04.2025 के साथ संलग्न पटवारी हल्का जसरापुर की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादी का नाम प्रकाश पुत्र बालु के स्थान पर प्रकाश चन्द पुत्र बालाराम किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। राजस्व ग्राम तातीजा की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 82 व 380 में वादी का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **तातीजा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 82 व 380 में वादी का वर्तमान में दर्ज नाम "**प्रकाश पुत्र बालु**" के स्थान पर "**प्रकाश चन्द उर्फ प्रकाश पुत्र बालाराम उर्फ बालु** " दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.10 17:36:54 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

ठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

प्रकाश चंद

ब–ना–म

मनीराम आदि

ावा **बाबत घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती**

ुकदमा नम्बर :– **346 / 2024** **GCMS No. 2024 / 680**

निर्णय दिनांक :– ...19.08.2025.......

वादी की ओर से **श्री रामनरेश सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ....19.08.2025.... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 82 व 380 में वादी का वर्तमान में दर्ज नाम "प्रकाश पुत्र बालु" के स्थान पर "प्रकाश चन्द उर्फ प्रकाश पुत्र बालाराम उर्फ बालु " दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...19.08.2025....... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.09.10 17:36:54 IST
Reason: Self Attested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं